

418/25

पशावली पेशी में ली गई। प्रार्थी सुश्रावू
जारीये करमजीत कार ने प्रार्थना पत्र
पेश कर दावा विज्ञा करने का
निवेदन किया। अधिवक्ता को लुगा
गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर
वाद पत्र विज्ञा करने की अनुमति
पुस्तक की जाती है पशावली नंबर 6
कम की जाकर दाखिल दफा की जाती
है आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़